न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सामोद)

मु.न. 201/2015

1. कैलाशचन्द पुत्र श्री गोपीराम, जाति माली, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादी/प्रार्थी

बनाम

1. मालीराम पुत्र श्री गोपीराम, जाति माली, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. उपपंजीयक महोदय, चौमूँ, उपपंजीयन कार्यालय, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूं तह. चौमूं जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

निर्णय दिनांक 25.05.2018

पत्रावली आज कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत सामोद में पेश हुई। व.फ.उपस्थित। इस न्यायालय का आदेश दिनांक 17.06.2016 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमू को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमू से दिनांक 19.09.2016 को कुरेजात प्राप्त हो चुके है। प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रा0 पत्र एतराज कुरेजात प्रस्तुत कर निवदेन किया है कि उक्त कुरेजात रिपोर्ट में जो जमीन प्रतिवादी के हिस्से में आयी है उस पर अप्रार्थी/वादी कैलाश के मकानात बने हुये है और उन्हे आने जाने हेतु रास्ता भी नही दिया गया हैं। जो मौका स्थिति के विपरीत होने के कारण निरस्त की जावें। कुरेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ऐतराज प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमूं को पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमू से दिनांक 21.12.2017 को पुनः कुरेजात प्राप्त हो चुके है। प्रार्थी/वादी की ओर से कैम्प कोर्ट दिनांक 25.05.2018 को प्रा0 पत्र एतराज कुरेजात प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कुरेजात रिपोर्ट व बहस का अवलोकन किया गया। तहसीलदार चौमूं से प्राप्त कुरेजात व नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सभी पक्षकारों को रास्ते की सुविधा उपलब्ध करवाते हुये तथा कब्जाकाश्त मकानात/रहवास को ध्यान में रखते हुये कुरेजात प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत ऐतराज कुरेजात प्रा0 पत्र न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करने की गरज से प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र ऐतराज कुर्रेजात दिनांक 25.05.2018 को खारिज किया जाकर वादी का वाद तहसीलदार चौमू से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट दिनाक 21.12.2017 के अनुसार स्वीकार किया जाकर पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1483 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1484 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1504 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1505 रकबा 0.10 हैक्टेयर, कुल किता 4 का कुल रकबा 0.40 हैक्टेयर वाके ग्राम सामोद, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमू द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

1. मालीराम पुत्र गोपीराम कौम माली सा. देह खातेदार को ख.न. 1484/2 रकबा 0.10 हैक्ट., ख.न. 1505 रकबा 0.10 हैक्ट. कुल किता 2 का कुल रकबा 0.20 हैक्ट., जिसका कुल लगान 1.00 रूपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में आसमानी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला-जयपुर

2. कैलाश चन्द पुत्र गोपीराम कौम माली सा. देह खातेदार को ख.न. 1483 रकबा 0.02 हैक्ट., ख.न. 1484/1 रकबा 0.09 हैक्ट., ख.न. 1504 रकबा 0.09 हैक्ट. कुल किता 3 का कुल रकबा 0.20 हैक्ट.., जिसका कुल लगान 0.90 रूपये, जो संलग्न नजरी नक्शे मे गहरे संतरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

कुएं की जमीन पक्षकारों की सामलाती रहेगी परन्तु कुए का उपयोग मालीराम नही करेगा। अन्तिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत सामोद पर सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

प्रियव्रत सिंह चारण
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
चौमू जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सामोद)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमू व
अजलास प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस

2. कैलाशचन्द पुत्र श्री गोपीराम, जाति माली, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादी / प्रार्थी

बनाम

4. मालीराम पुत्र श्री गोपीराम, जाति माली, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. उपपंजीयक महोदय, चौमूँ, उपपंजीयन कार्यालय, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूं, तह. चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा नं0 201 / 2015

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रुबरू उभयपक्षकार हाजरी मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दियां जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

1. मालीराम पुत्र गोपीराम कौम माली सा. देह खातेदार को ख.न. 1484 / 2 रकबा 0.10 हैक्ट., ख.न. 1505 रकबा 0.10 हैक्ट. कुल किता 2 का कुल रकबा 0.20 हैक्ट., जिसका कुल लगान 1.00 रूपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में आसमानी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
2. कैलाश चन्द पुत्र गोपीराम कौम माली सा. देह खातेदार को ख.न. 1483 रकबा 0.02 हैक्ट., ख.न. 1484 / 1 रकबा 0.09 हैक्ट., ख.न. 1504 रकबा 0.09 हैक्ट. कुल किता 3 का कुल रकबा 0.20 हैक्ट.., जिसका कुल लगान 0.90 रूपये, जो संलग्न नजरी नक्शे मे गहरे संतरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

कुएं की जमीन पक्षकारों की सामलाती रहेगी परन्तु कुए का उपयोग मालीराम नही करेगा। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 27.05.2018 को जारी किया गया ।

मोहर

उप खण्ड अधिकारी
हस्ताक्षर
चौमूं जिला–जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदाईला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	2		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	6		मीजान	1	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उप खण्ड अधिकारी
चौमूं जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner